



झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड  
नामकुम, राँची।

फोन नं०- 0651-2261000, 2261856-2261002 मेल आईडी- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : 2666 (RCH)

राँची, दिनांक : 1-7-19

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार, Sexual harassment of women at workplace Act. 2013 के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या-3614(RCH) दिनांक 11.12.2018 द्वारा राज्य मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों के सम्मान की सुरक्षा हेतु गठित Internal Complain Committee (ICC) के निम्नरूपेण संशोधित की जाती है :-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. श्रीमती सुमन पाठक, प्रशासी पदाधिकारी            | - अध्यक्ष |
| 2. डॉ० राकेश दयाल, राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी         | - सदस्य   |
| 3. डॉ० दीपावली, चिकित्सा पदाधिकारी, मातृत्व कोषांग | - सदस्य   |
| 4. श्रीमती अकाय मिंज, SPC - VSRC                   | - सदस्य   |
| 5. श्रीमती सज्ञा सिंह, Emtomologist - NVBCD        | - सदस्य   |
| 6. UNICEF से नामित एक सदस्य                        | - सदस्य   |
| 7. JHAPIEGO से नामित एक सदस्य                      | - सदस्य   |


Sexual harassment of women at workplace Act. 2013 के आलोक में गठित Internal Complain Committee (ICC) के कार्यों के संपादन हेतु सहायक के रूप में श्री शिवनाथ, कार्यकारी सहायक, मानव संसाधन कोषांग को संबद्ध किया जाता है।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।


ज्ञापांक : 2666 (RCH)

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक, NHM, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक वित्त, NHM, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी कोषांग प्रभारी/परामर्शी, NHM, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
(प्रशासी पदाधिकारी)

दिनांक : 1-7-19

  
(प्रशासी पदाधिकारी)